इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226] भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 अप्रैल 2018—चैत्र 21, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2018

क्र. एफ-बी-04-05-2018-2-पांच-(23).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 2 की उपधारा (9) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-7 (ए)-98-94 वा. कर-पांच, दिनांक 8 सितम्बर 1994 का लोप करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2018

क्र. एफ-बी-04-05-2018-2-पांच-(23).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-04-05-2018-2-पांच-(23), दिनांक 11 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 11th April 2018

No. F-B-04-05-2018-2-V-(23).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (9) of Section 2 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, omits this department's Notification No. B-7 (A) 98-94-CTD-V, dated 8th September, 1994.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2018

क्र. एफ-बी-04-05-2018-2-पांच-(24).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्टाम्प नियम, 1942 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 19 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"19-क. यदि कोई असम्यक् रूप से स्टांपित लिखत रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो वह उसे परिबद्ध करेगा तथा अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन लिखत को कलक्टर को भेजेगा.

"19-ख. कलक्टर, शुल्क तथा शास्ति के भुगतान के संबंध में जांच करेगा तथा भुगतान के प्रमाणीकरण के पश्चात् धारा 42 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन लिखत को रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2018

क्र. एफ-बी-04-05-2018-2-पांच-(24).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-04-05-2018-2-पांच-(24), दिनांक 11 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 11th April 2018

No. F-B-04-05-2018-2-V-(24).—In exercise of the powers conferred by Section 75 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Stamp Rules, 1942, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, after rule 19, the following rules shall be inserted, namely:—

"19-A. If any unduly stamped instrument is presented for Registration before the Registration Officer, he shall impound the same and the instrument shall be sent to the Collector under sub-section (2) of Section 38 of the Act..

"19-B. The Collector shall make an enquiry about the payment of duty and penalty and after the certification of the payment the instrument may be registered under sub-section (1) and (2) of Section 42.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2018

क्र. एफ-बी-04-05-2018-2-पांच-(25).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 40 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उप महानिरीक्षक, पंजीयन को क्रमशः उनकी अपनी पदीय हैसियत की सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम के अधीन कलक्टर द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील के प्रयोजन के लिए प्रथम अपील प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2018

क्र. एफ-बी-04-05-2018-2-पांच-(25).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-04-05-2018-2-पांच-(25), दिनांक 11 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 11th April 2018

No. F-B-04-05-2018-2-V-(25).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 40 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, authorizes Deputy Inspetor General, Registration for the respective area within the boundaries of their own official capacity as First Appellate Authority for the purpose of appeal against the orders passed by the Collector under the said Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2018

क्र. एफ-बी-04-05-2018-2-पांच-(26).—मध्यप्रदेश राज्य में लागू रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 16-क, धारा 22, धारा 34 की उपधारा (3) तथा धारा 35 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, महानिरीक्षक, पंजीयन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उपनियम (2) का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2018

क्र. एफ-बी-04-05-2018-2-पांच-(26).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-04-05-2018-2-पांच-(26), दिनांक 11 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 11th April 2018

No. F-B--04-05-2018-2-V-(26).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 read with Section 16-A, Section 22, sub-section (3) of Section 34 and sub-section (2) of Section 35 of the Registration Act, 1908 (16 of 1908) applied in the State of Madhya Pradesh the Inspetor General, Registration hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Registration Rules, 1939, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, sub-rule (2) shall be ommitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

क्र. एफ-बी-04-05-2018-2-पांच-(27) भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2018

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा–2(16) ग, धारा–75 के साथ पठित अधिसूचना कमांक 16638–227–इक्कीस–अ, दिनांक 23.10.2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (60) बी–4–4–2000–वा.कर–पांच–दिनांक 31, जुलाई 2000 इसमें किए गए पश्चातवर्ती संशोधनों सहित अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.–**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्वांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2018 है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**, – इन नियमों जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2)

(ख) **"बोर्ड"**से अभिप्रेत है ,इन नियमों के अधीन गठित बोर्ड;

(ग) **"समिति"** से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन गठित समिति;

(घ) **"बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्वांत"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा–2(16)ग मे यथा परिभाषित बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत,

(च) **"रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी"** से अभिप्रेत है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी;

(छ) **"सम्पदा"** अथवा "स्टाम्प्स एण्ड मैनेजमेंट ऑफ प्रापर्टी एण्ड डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन" से अभिप्रेत है राज्य सरकार अथवा महानिरीक्षक, पंजीयन द्वारा समय समय पर सुसंगत नियमों के अधीन अधिकृत उपयोगकर्ता या अनुज्ञप्त सेवा प्रदाता

को अभिगम्य ई–स्टांपिंग एवं दस्तावेजों के कम्प्यूट्रीकृत एवं वेब आधारित इलैक्ट्रॉनिक रीति से रजिस्ट्रीकरण की प्रणाली,"

3. केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड का गठन तथा उसके कृत्य–

(1) केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड में निम्नलिखित होगें :–

1. महानिरीक्षक, पंजीयन, –अध्यक्ष
2. प्रमुख अभियंता,लोकनिर्माण विभाग या उसका प्रतिनिधि, जो मुख्य अभियंता की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो; –सदस्य
3. संचालक ,नगर तथा ग्राम निवेश विभाग या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त संचालक पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो ; –सदस्य
4. आयुक्त,भू–अभिलेख या उसका प्रतिनिधि जो उपायुक्त की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो; –सदस्य
5. संचालक,कृषि या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त संचालक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो; –सदस्य
6. मुख्य वन संरक्षक या उसका प्रनिनिधि जो वन संरक्षक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो; –सदस्य
7. मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थापत्यकला विभाग का विभागाध्यक्ष ; –सदस्य
8. मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सिविल इन्जीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष; –सदस्य
9. समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, पंजीयन; –सदस्य
10. संयुक्त महानिरीक्षक, पंजीयन/उप महानिरीक्षक, पंजीयन, जो इस संबंध में महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा प्राधिकृत किए जाएं; –सदस्य
11. राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य सदस्य। –सदस्य

(2) बोर्ड, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा.–

(क) विश्लेषण तथा अंतिम अनुमोदन के लिए जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रविष्ट संपत्ति के संव्यवहारों की जानकारी/आंकडे, अनंतिम दरों के साथ प्राप्त करना;

(ख) भूमि, भवन तथा स्थावर संपत्ति में विभिन्न प्रकार के हितों के संबंध में बाजार मूल्य के नियतन के लिए मानदण्ड/उपबंध निर्धारित करना

(ग) निर्माण आदि की विभिन्न श्रेणियों के लिए दरें, जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न हो सकेंगी, नियत करना

4. जिला मूल्याकंन समिति तथा उप–जिला मूल्यांकन समिति का गठन और उनके कृत्य–

(1) जिला मूल्यांकन समिति में शामिल होंगेः–

1.	कलक्टर	–अध्यक्ष
2.	संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र से एक विधान सभा सदस्य	–सदस्य
3	अध्यक्ष, जनपद पंचायत, जिला मुख्यालय	–सदस्य
4	कार्यपालन अभियंता ,लोकनिर्माण विभाग,	–सदस्य
5	कार्यपालन अभियंता ,जल संसाधन विभाग,	–सदस्य
6	आयुक्त, नगरपालिका निगम या जिला मुख्यालय का नगरपालिका अधिकारी	–सदस्य
7	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,	–सदस्य
8	अधीक्षक, भू–अभिलेख/अधीक्षक, व्यपवर्तन,	–सदस्य
9	भाड़ा नियंत्रण अधिकारी	–सदस्य
10	जिला वन अधिकारी,	–सदस्य
11	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण/उपायुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल,	–सदस्य
12	संयुक्त संचालक/उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,	–सदस्य
13	महाप्रबंधक, उद्योग,	–सदस्य
14	रजिस्ट्रीकरण जिले का वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक	–संयोजक

(2) जिला मूल्यांकन समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात :–

(क) संपत्ति के मूल्यों तथा संपत्ति के रूझानों की जानकारी एकत्रित करना, जिले के विद्यमान आँकड़ों के साथ प्राथमिक आँकड़ों के रूप में संकलित किया जाएगा।

(ख) उप जिला मूल्यांकन समिति से प्राप्त अन्य जानकारी के साथ, महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा विहित रीति, जिसमें "सम्पदा" शामिल है, के माध्यम से प्राप्त प्ररूपों में प्रस्तावित मूल्यों तथा प्राथमिक आँकड़ो के रूप में निर्माण दरों, संपत्ति की वास्तविक दरों आदि के संबंध में संकलित जानकारी का विश्लेषण करना तथा अनंतिम मूल्यों को नियत करना।

(ग) महानिरीक्षक, पंजीयन द्वारा विहित रीति, जिसमें सम्पदा शामिल है, के माध्यम से अनंतिम मूल्यों को अधिसूचित करना और उन पर जनता के सुझाव आमंत्रित करना तथा उन पर विचार करना।

(घ) अनंतिम मूल्यों को केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अनुमोदन के लिए भेजना तथा अनुमोदन प्राप्त होने पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए बाजार मूल्य के मार्गदर्शक सिद्वांत जारी करना।

(3) उप जिला मूल्यांकन समिति में निम्नलिखित होगें :–

1.	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व,	–अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जनपद पंचायत, उप जिला मुख्यालय	–सदस्य
3	तहसीलदार/नायब तहसीलदार	–सदस्य
4	सहायक अभियंता ,जल संसाधन विभाग,	–सदस्य
5	सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग,	–सदस्य
6	मुख्य नगरपालिका अधिकारी या आयुक्त, नगर पालिक निगम अथवा उसका नामनिर्देशिती	–सदस्य
7	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत या उसका नामनिर्देशिती	–सदस्य
8	अनुविभागीय अधिकारी, वन	–सदस्य
9	वरिष्ठ उप पंजीयक/उप पंजीयक	–संयोजक

(4) उप जिला मूल्यांकन समिति निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी :–

(क) संपत्ति के मूल्य से संबंधित आंकडे एकत्रित करना तथा संकलित करना। इस प्रयोजन के लिए उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत हुए दस्तावेजो के आधार पर औसत मूल्य के आंकड़े विचार में लिए जाएंगे। उस कालावधि के दौरान किसी विक्रय के संव्यवहार के न होने की स्थिति में या तो उसी तरह की भूमि/सम्पत्ति के विक्रय के संव्यवहार को आधार बनाया जाएगा अथवा मूल्य सूचकांक के अनुसार मूल्य में वृद्धि की जा सकेगी। सम्पत्ति के प्रचलित बाजार मूल्य के बारे में जानकारी पटवारियों द्वारा तहसीलदारों के माध्यम से दी जाएगी। अन्य जानकारियां जैसे निर्माण लागत, शासकीय विक्रय, नीलाम विक्रय आदि की जानकारी समिति द्वारा संबंधित कार्यालयों से एकत्रित की जाएगी ।

(ख) एकत्रित किए गए आंकडो का विश्लेषण करना तथा विहित इनपुट प्ररूपों में मूल्य प्रस्तावित करना तथा उन्हें महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा विहित रीति, जिसमें "सम्पदा" समाविष्ट है, के माध्यम से एकत्रित किए गए समस्त आंकडों तथा जानकारी के साथ संबंधित जिला मूल्यांकन समिति को अग्रेषित करना।

5. **पुनरीक्षण की कालावधि** :–इन नियमों के अधीन बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त 1 अप्रैल से प्रति वर्ष पुनरीक्षित किए जाएंगे।

6. **बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाने की प्रक्रिया.**– स्थावर संपत्ति के मूल्य निर्धारित करते समय समिति, निम्नलिखित तथ्यों को विचार में लेगी :–

(1) भूमियों की दशा में:–

(क) असिंचित या सिंचित, व्यपवर्तित या अव्यपवर्तित तथा तत्सदृश्य रूप से भूमि का वर्गीकरण,

(ख) बन्दोबस्त रजिस्टर में विभिन्न प्रवर्गों के अधीन वर्गीकरण,

(ग) प्रत्येक वर्गीकरण के लिए राजस्व निर्धारण की दर,

(घ) अन्य घटक जो प्रश्नास्पद भूमि के मूल्यांकन को प्रभावित करते हों,

(ङ) लिखत के पक्षकारों द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा वर्णित वे बिन्दु जिन पर विशेष रूप से विचार किया जाना हो,

(च) पार्श्वस्थ भूमियों या समीपस्थ भूमियों का मूल्य,

(छ) भूमि से औसत उपज, सड़क तथा बाजार से निकटता, ग्राम स्थल से दूरी, भूमि का स्तर, यातायात सुविधाएं, सिंचाई के लिए किसी भी रूप में उपलब्ध सुविधाएं,

(ज) भूमि पर उगाई गई फसलों का प्रकार,

(झ) भूमि के आवासीय, व्यावसायिक या औद्यौगिक रूप में उपयोग किया जाना,

(ञ) भूमि की नगरीय क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र या नगर के विकास के सापेक्ष स्थिति।

(2) गृह स्थलों की दशा में :–

(क) परिक्षेत्र में गृहस्थलों का सामान्य मूल्य,

(ख) सड़कों, रेलवे स्टेशन, बस मार्गों से निकटता,

(ग) बाजार दुकानों तथा तत्सदृश्य स्थानों से निकटता,

(घ) उस स्थान में उपलब्ध सुख–सुविधाएं जैसे लोक कार्यालय, चिकित्सालय तथा शैक्षणिक संस्थाएं,

(ङ) सामीप्य क्षेत्रों में विकास संबंधी किया–कलाप, औद्योगिक सुधार,

(च) ऐसा कोई विशिष्ट लक्षण जो कि गृह स्थल के मूल्यांकन को विशेष रूप से प्रभावित करता हो, और

(छ) गृह स्थल की व्यावसायिक तथा इस हेतु मास्टर प्लान या नगर ग्राम निवेश द्वारा आरक्षित क्षेत्र से सम्बद्वता।

(3) भवनों की दशा में :–

(क) प्रकार तथा संरचना,

(ख) परिक्षेत्र, जिसमें निर्मित किए गए हैं,

(ग) न्याधार का क्षेत्रफल,

(घ) निर्माण का वर्ष,

(ङ) उपयोग की गई सामग्री का प्रकार,

(च) अवक्षयण की दर,

(छ) दरों में उतार चढ़ाव,

(ज) ऐसे कोई अन्य विशिष्ट लक्षण जो मूल्य को प्रभावित करते हों,

(झ) वह प्रयोजन जिसके लिए भवन का उपयोग किया जा रहा है, तथा भाड़े के रूप में भवन से प्राप्त वार्षिक आय, यदि कोई हो और

(ञ) जहां भवन स्थित है, उस क्षेत्र की सापेक्ष स्थिति एवं ख्याति।

(4) अन्य कारक जो समिति द्वारा आवश्यक समझे जाएं।

7. प्ररूप :–विभिन्न श्रेणियों के भूखण्डों, भूमियों तथा निर्माणों आदि से संबधित दरों/बाजार मूल्यों के प्ररूप महानिरीक्षक, पंजीयन द्वारा यथा विहित होंगे तथा महानिरीक्षक, पंजीयन द्वारा यथा विहित जिसमें "सम्पदा" समाविष्ट है, के माध्यम से तैयार किए जाएंगे।

8. बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का प्रदाय :– नियम 6 एवं 7 के अनुसार तैयार किए गए बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त, प्रत्येक रजिस्टीकर्ता अधिकारी तथा जनसाधारण को, महानिरीक्षक, पंजीयन द्वारा विहित रीति जिसमें सम्पदा समाविष्ट है, के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्वांत की सूची रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों में संपत्ति के बाजार मूल्य की मार्गदर्शक होगी।

9. विशेष पुनरीक्षण की शक्तियां :–(1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक, स्टाम्प, निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में भूमि के मूल्यों में आकस्मिक वृद्धि होने के कारण बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तो के विशेष पुनरीक्षण का आदेश कर सकेगा।

(क) किसी उघोग या उघोगों के समूह या अधोसंरचना परियोजनाओं की स्थापना ;

(ख) वृहद स्तर की आवासीय परियोजना का विकास ;

(ग) किसी विनर्दिष्ट क्षेत्र में स्थावर सम्पत्ति के मूल्यों पर प्रभाव डालने वाली कोई अन्य विशेष परिस्थितियां।

(2) उप नियम (1) के अंतर्गत आने वाले मामलों में, नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन गठित समिति, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक स्टाम्प द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर, बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्वांत के पुनरीक्षण की कार्यवाही करेगी।

(3) ऐसा पुनरीक्षित मूल्य उस तारीख से कार्यान्वित होगा जो महानिरीक्षक पंजीयन तथा अधीक्षक, स्टाम्प द्वारा नियत की जाए।

10. समिति द्वारा जनता,लोक अधिकारियों को समन किया जाना तथा उनके कथन लेखबद्व किया जाना– नियम 4 के अधीन गठित समितियां ,सूचना की तामील के पश्चात् यदि ऐसा करना उचित समझें, तो ऐसे व्यक्ति का कथन लेखबद्व कर सकेंगे तथा जांच के प्रयोजन के लिए – ।

(क) राज्य शासन या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी भी लोक कार्यालय या अधिकारी या प्राधिकारी से अभिलेख की कोई जानकारी मंगा सकेगी।

(ख) राज्य शासन या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लोक कार्यालय या प्राधिकारी के किसी सदस्य का कथन लेखबद्व कर सकेगी।

(ग) सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख या ऐसी अन्य तारीख को, जो उसके द्वारा नियत की जाए, पक्षकारों से उपस्थित रहने की अपेक्षा करेगी।

11. विसंगतियो के सुधार के लिए सक्षम प्राधिकारी– यदि बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों में दर्शाई गई दरों से व्यथित किन्हीं पक्षकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है या विभाग का कोई अधिकारी कोई विसंगति देखता है, मामला नियम 4 के उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट समिति को भेजा जाएगा तथा ऐसी समिति, महानिरीक्षक, पंजीयन की दरों को, पुनरीक्षित कर विसंगति को सुधारने के लिए प्रस्ताव भेजेगी। महानिरीक्षक, पंजीयन प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त उपयुक्त निर्देश जारी कर सकेंगे।

12. सामान्य नियंत्रण और अधीक्षण :– इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जैसा समय–समय पर अपेक्षित हो, महानिरीक्षक, पंजीयन, सामान्य स्वरूप के प्रशासकीय अनुदेश जारी करने के लिए सक्षम होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2018

क्र. एफ–बी–04–05–2018–2–पांच–(27).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ–बी–04–05–2018–2–पांच–(27), दिनांक 11 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

No. F-B-4-05-2018-2-V-(27) Bhopal, the 11th April 2018

In exercise of the powers conferred by sub-section (11), sub-section (16-B) of section 2, Section 27, 40, and 75 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) read with notification No. 16638-227-XXI-A- dated 23/10/2017 and all other powers enabling in that behalf and in supersession of this department's Notification No. 2404-3290-V-SR-75 dated 13th June, 1975, the State Government, hereby, makes the following rules, namely :-

RULES

1. **Short title.**- These rules may be called Madhya Pradesh Determination of Market Value of Instruments and Disposal of Unduly Stamped Instruments Rules, 2018
2. **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-
   (a) "Act" means the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) as applicable to the State of Madhya Pradesh;
   (b) "Authorized agent" means-
      (i) a person holding a power of attorney authorizing him to act on behalf of his principal; or
      (ii) an agent empowered by written authority under the hand of his principal;
   (c) "Form" means forms appended to these rules;
   (d) "Registering Officer" means the registering officer appointed under the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908);
   (e) "Officer empowered to determine the market value" means Collector and Appellate Authority as defined in the Act.
3. **Other particulars to be set forth in the instrument as required by Section 27 of the Act.**- The following particulars shall be fully and truly set forth in the instrument relating to immovable property chargeable with *ad valorem* duty namely:-
   (i) in case of an instrument relating to agricultural land, the land revenue payable by the Bhumiswami, of the adjoining agricultural land of the same class of soil, if the land which is the subject matter of instrument exempted from payment of land revenue or which has not been assessed to land revenue.
   (ii) in case of an instrument relating to agricultural land assessed to land revenue-
      (a) name of the village with name of Revenue Inspector's circle, Tahsil and District wherein the land is situated; and
      (b) whether the land is irrigated or not, and if irrigated, whether irrigation is for one crop only or for two crops.